

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/28770

दिनांक : 25/03/2020

आदेश

शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.17(26) खा. वि./न्याय/72-111 दिनांक 23.03.2020 के द्वारा कोविड-19 (कोराना वायरस) के कारण प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित, जरूरतमंदों को निःशुल्क ड्राई राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त निर्देशों के अनुसरण में बाड़मेर/बालोतरा नगर परिषद् क्षेत्र में भोजन पैकेट वितरण सेल का गठन किया जाकर निम्नानुसार अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम मय पदनाम	नियुक्त अधिकारी का विवरण
1.	श्री के.के. गोयल, सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ, बाड़मेर (मो-9414113459)	नॉडल अधिकारी
2.	श्री सुरेन्द्रप्रताप सिंह सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर (मो-9462305078)	सहायक नॉडल अधिकारी

उपर्युक्त सारणी अनुसार नियुक्त नॉडल अधिकारी एवं सहायक नॉडल अधिकारी निःशुल्क भोजन पैकेट वितरण का कार्य नगर परिषद् बाड़मेर/बालोतरा में सफलतापूर्वक करवाने के संदर्भ में पर्यवेक्षण करेंगे। इस संदर्भ में पूर्व में जारी समख्यंक आदेश क्रमांक 28662 दिनांक 24.03.2020 निरन्तर रहेगा। जिसके अनुसार सम्बन्धित समस्त अधिकारी अपना दायित्व निर्वहन करेंगे। भोजन पैकेट तैयार करवाने, वितरण करने के संबंध में आयुक्त, नगर परिषद् बाड़मेर/ बालोतरा सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।


(अंशुदीप)

जिला कलक्टर


आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/28771-78

दिनांक : 25/03/2020

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर
3. सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ, बाड़मेर
4. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
5. जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर
6. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, बाड़मेर
7. आयुक्त, नगर परिषद्, बाड़मेर/बालोतरा
8. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर
9. रक्षित पत्रावली


जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर